



## कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा



Phone No. 07824-222152 dlsa.bemetara@gmail.com

// आदेश //

क्रमांक—26 / F.No.11/ DLSA / 2018

बेमेतरा, दिनांक 24 जुलाई 2018

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 4 के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर से विनियम 8(6) के तहत अनुमोदन उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा हेतु स्थापित किए गए प्रबंध कार्यालय में विनियम 8 (10) के दायित्वों के निर्वहन हेतु **दिनांक 01 अगस्त 2018 से** 4-4 माह तक चक्रानुक्रम में प्रतिधारक अधिवक्ता के रूप में तैनात किया जाता है:—

कं	नियुक्त प्रतिधारक अधिवक्ता	दिन/ कार्य अवधि चक्रानुक्रम में
1	श्री चुरामन सिंह वर्मा मो.न. 94076-73487	प्रत्येक कार्य दिवस (माह अगस्त से नवम्बर 18 तक)
2	श्रीमती सलमा शरीफ, मो.न. 93018-43545	प्रत्येक कार्य दिवस (माह दिसम्बर,18 से मार्च 19 तक)
3	श्री लालबहादुर शर्मा, मो.न. 98936-34322	प्रत्येक कार्य दिवस (अप्रैल,19 से जुलाई 19 तक)
4	श्री शैलेश कुमार तिवारी, मो.न. 98937-91060	प्रत्येक कार्य दिवस (अगस्त, 19 से नवम्बर 19 तक)
5	श्री विजय कुमार पांडेय, मो.न. 98268-30629	प्रत्येक कार्य दिवस (दिसम्बर, 19 से मार्च 2020 तक)
6	श्री विवेक सुहास पोल, मो.न. 79878-78508	प्रत्येक कार्य दिवस (अप्रैल, 20 से जुलाई 2020 तक)
7	श्री सतीश कुमार वर्मा, मो.न. 94076-73487	प्रत्येक कार्य दिवस (अगस्त, 20 से नवम्बर 2020 तक)
8	श्री घनश्याम वर्मा, मो.न. 74155-33118	प्रत्येक कार्य दिवस (दिसम्बर, 2020 से मार्च 2021तक)
9	श्री गिरीश कुमार शर्मा, मो.न. 98267-75603	प्रत्येक कार्य दिवस (अप्रैल,2021 से जुलाई 2021 तक)

टीप :-

1. प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय में दी गई विधिक सलाह व सहायता से संबंधित कार्यवाहियों का संपूर्ण विवरण रजिस्टर में संधारित करेंगे ।

2. प्रत्येक गुरुवार को प्रतिधारक अधिवक्ता व पैरालीगल वालेटियर किशोर न्याय बोर्ड परिसर में प्रबंध कार्यालय संचालित करेंगे।
3. कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत कार्य कर रहे प्रतिधारक अधिवक्ता आगामी प्रतिधारक अधिवक्ता को रजिस्टर इत्यादि सौंपकर सूचना जिला प्राधिकरण को देंगे।
4. प्रबंध कार्यालय में नियुक्त पैरालीगल वालेटियर्स से सहयोग लिया जा सकेगा।
5. प्रत्येक माह की समाप्ति पर **02 तारीख** तक प्रतिधारक अधिवक्ता व पैरालीगल वालेटियर्स प्रबंध कार्यालय में दी गई सलाह व सहायता की रिपोर्ट सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
6. जिस व्यक्ति को प्रबंध कार्यालय में विधिक सेवा प्रदान की जावेगी उससे विनियम 8 (14) के तहत कोई फीस, पारिश्रमिक या मूल्यवान प्रतिफल की मांग पेनल अधिवक्ता या पैरालीगल वालेटियर नहीं करेंगे।
7. नियुक्त पेनल/प्रतिधारक अधिवक्ता संतोषजनक ढंग से अथवा अधिनियम व विनियमों के उद्देश्य व भावना के प्रतिकूल कार्य करने पर बिना किसी सूचना के अथवा कारण बताए हटाए जा सकेंगे।

सही /—

(आनंद कुमार सिंघल)

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जिला बेमेतरा (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक— / **F.No.11/ DLSA / 2018**  
**2018**

बेमेतरा, दिनांक **24 जुलाई**

प्रतिलिपि—

- 1— **सदस्य/सचिव** महोदय, छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,बिलासपुर, के ज्ञा. क्र. 1818/V—04—02/14 दि. 19.7.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— **श्री चुरामन सिंह वर्मा, श्रीमती सलमा शरीफ, श्री लालबहादुर शर्मा, श्री शैलेश कुमार तिवारी, श्री विजय कुमार पांडेय, श्री विवेक सुहास पोल, श्री सतीश कुमार वर्मा, श्री घनश्याम वर्मा, गिरीश कुमार शर्मा,** प्रतिधारक अधिवक्ता बेमेतरा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यभार ग्रहण करने पर उसकी सूचना प्राधिकरण में प्रेषित करने का कष्ट करें।

(**के.पी. सिंह भदौरिया**)

सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जिला बेमेतरा (छ.ग.)



## कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा



Phone No. 07824-222152 dlsa.bemetara@gmail.com

// आदेश //

क्रमांक—28 / F.No.11/ DLSA / 2018

बेमेतरा, दिनांक 25 जुलाई 2018

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 4 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की तालुका विधिक सेवा समिति साजा हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सूची में से निम्नानुसार पेनल अधिवक्ता को विनियम 8 (10) के दायित्वों के निर्वहन हेतु दिनांक 01 अगस्त 2018 से मार्च 2020 तक **4-4 माह** चक्रानुक्रम में तथा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक **3-3 माह** चक्रानुक्रम में तथा अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 तक **4 माह** चक्रानुक्रम 4-4 माह तक चक्रानुक्रम में प्रतिधारक अधिवक्ता के रूप में तैनात किया जाता है:-

कं.	नियुक्त प्रतिधारक अधिवक्ता	दिन/ कार्य अवधि चक्रानुक्रम में
1	श्री विजय कुमार जोशी 94241-13454	प्रत्येक कार्य दिवस (माह अगस्त,18 से नवम्बर 18 तक) एवं (अप्रैल, 20 से जून 2020 तक)
2	श्री कौशल कुमार वैष्णव 98936-34251	प्रत्येक कार्य दिवस (माह दिसम्बर,18 से मार्च 19 तक) एवं (जुलाई, 20 से सितम्बर 2020 तक)
3	श्री मनोज कुमार राजपूत 62615-20050	प्रत्येक कार्य दिवस (अप्रैल,19 से जुलाई 19 तक) एवं (अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2021 तक)
4	श्री अजय गोस्वामी 78694-51308	प्रत्येक कार्य दिवस (अगस्त, 19 से नवम्बर 19 तक) एवं (जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक)
5	श्री गोकुल सिंह राजपूत 99933-23022	प्रत्येक कार्य दिवस (दिसम्बर, 19 से मार्च 2020 तक) एवं (अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 तक)

टीप :-

1. प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय में दी गई विधिक सलाह व सहायता से संबंधित कार्यवाहियों का संपूर्ण विवरण रजिस्टर में संधारित करेंगे ।

2. चार माह पश्चात् विवेकाधिकार के तहत चक्रानुक्रम के आधार पर अन्य प्रतिधारक अधिवक्ता उक्त प्रबंध कार्यालय में नियुक्त किया जावेगा ।
3. प्रबंध कार्यालय में स्थायी रूप से पैरालीगल वॉलेटियर्स कार्य करने हेतु नामित होने के पूर्व तक तालुका साजा हेतु उपलब्ध सूची में से तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष किसी एक प्रशिक्षित पैरालीगल वॉलेटियर्स को स्वविवेकानुसार प्रबंध कार्यालय में तैनात करेंगे ।
4. प्रत्येक माह की समाप्ति पर **02 तारीख** तक प्रतिधारक अधिवक्ता व पैरालीगल वॉलेटियर्स प्रबंध कार्यालय में दी गई सलाह व सहायता की रिपोर्ट अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति के माध्यम से इस जिला प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे ।
5. जिस व्यक्ति को प्रबंध कार्यालय में विधिक सेवा प्रदान की जावेगी उससे विनियम 8 (14) के तहत कोई फीस, पारिश्रमिक या मूल्यवान प्रतिफल की मांग पेनल अधिवक्ता या पैरालीगल वॉलेटियर नहीं करेंगे ।
- 6- नियुक्त पेनल/प्रतिधारक अधिवक्ता संतोषजनक ढंग से अथवा अधिनियम व विनियमों के उद्देश्य व भावना के प्रतिकूल कार्य करने पर बिना किसी सूचना के अथवा कारण बताए हटाए जा सकेंगे ।

सही /—  
(आनंद कुमार सिंघल)  
जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जिला बेमेतरा (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक— **688 / F.No.11/ DLSA / 2018**

**बेमेतरा, दिनांक 25 जुलाई 2018**

प्रतिलिपि—

- 1— **सदस्य/सचिव** महोदय, छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर,
- 2— अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 साजा जिला बेमेतरा,
- 3— **श्री विजय कुमार जोशी, श्री कौशल कुमार वैष्णव, श्री मनोज कुमार राजपूत, श्री अजय गोस्वामी, श्री**

**गोकुल सिंह राजपूत**, प्रतिधारक अधिवक्ता साजा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि चक्रानुक्रम में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना तालुका विधिक सेवा समिति साजा के अध्यक्ष के माध्यम से इस प्राधिकरण को प्रेषित करें ।

सही /—  
(के.पी. सिंह भदौरिया)  
सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जिला बेमेतरा (छ.ग.)